

तारीख
हुकम

18-12-2025

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
उनवानी गंगा देवी बनाम अनिता वगै 0 मु0सं0 77 / 2020


Gems-2020/00197

नम्बर व तारीख
जो इस हुकम
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप0। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हुआ जो अभिलेख पर लिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादपत्र डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष अथवा अन्य किसी पक्षकारान ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (राज)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. गंगा देवी पत्नी श्री मालीराम जाति अहीर निवासी ढाणी चेरी की (हेमावाली)
तन गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. अनिता पुत्री मांगू वगैरह

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 77 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री नवीन यादव एडवोकेट मिनजानिब मुद्ई रुबरू श्री राधेश्याम कनवा, श्री योगेश शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें
के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना (राज.)

	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।